*छत्तीसगढ़ सूचना आयोग*
*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

*<u>अपील प्रकरण क्रमांक 783 एवं 785/2008</u>*

1. श्री शंकर प्रसाद सिंह, – *अपीलार्थी*
   माडल टाउन, इंदिरा कालोनी,
   मकान नंबर–581, शासकीय मिडिल स्कूल के पास,
   नेहरू नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें,
   जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

*//<u>आदेश</u>//*
*(दिनांक 12 फरवरी, 2009)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री शंकर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, दुर्ग के समक्ष क्रमशः दिनांक 28.03.2008 एवं 05.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, संयुक्त पंजीयक द्वारा यह आवेदन पत्र प्रशासक/प्रबंधक, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक को हस्तांतरित किया गया, किन्तु उनके द्वारा जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उक्त बैंक संस्था के संबंध में अपीलीय अधिकारी नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 24.06.2008 के आदेश से अस्वीकार कर दिया, उससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी अपीलार्थी ने दिनांक 16.07.2008 को यह दोनों अपीलें आयोग के समक्ष प्रस्तुत की । चूंकि इन दोनों अपीलों की विषय–वस्तु एक है, पक्षकार भी एक ही तथा उक्त अपीलों में तर्क भी एक समान प्रस्तुत किये, अतः दोनों अपीलों में एक साथ आदेश पारित किये जा रहे हैं ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क यह है कि उक्त बैंक का वह शेयर धारक है और बैंक के एक ऋण के मामले में एक जमानतदार होने के कारण मूल ऋणग्राहिता के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है और उसी से संबंधित प्रकरण की जानकारी मॉग रहे हैं, अतः बैंक द्वारा उन्हें जानकारी प्रदान की जाना चाहिए । बैंक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है, अतः उन पर यह सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा उन्होंने अपने पक्ष में शासन के पत्र दिनांक 22.12.2005 की प्रति भी संलग्न की है । यह सही है कि भिलाई नागरिक सहकारी बैंक को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है, किन्तु फिर भी सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत चूंकि शासन एवं पंजीयक, सहकारिता का नियंत्रण कुछ मामलों में आता है, अतः उस स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2(ज) के अन्तर्गत परिभाषा में लिया जा सकता है, अतः इस आधार पर उन पर यह

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अधिनियम लागू होना मान्य किया जा सकता है । चूंकि आवेदक द्वारा जो जानकारी चाही गई है, वह ऐसी जानकारी नहीं है, जिसे अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो । अतः ऐसी स्थिति में अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा इन दोनों आवेदन पत्रों में जो जानकारी बैंक से चाही गई है और जो आवेदन संयुक्त पंजीयक द्वारा बैंक को हस्तांतरित किया गया है, वह जानकारी अब 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे । चूंकि प्रकरण में जानकारी छिपाने के पीछे दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है, अतः शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नहीं है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत बैंक की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

**(अनिल जोशी)**
राज्य सूचना आयुक्त

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com